



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-16072022-237322
CG-UP-E-16072022-237322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3043]
No. 3043]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

रेल मंत्रालय
(उत्तर मध्य रेलवे)
(निर्माण विभाग)

अधिसूचना
झांसी, 14 जुलाई, 2022

का.आ. 3201 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संसोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'च' की उप धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित मध्यस्थ को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित जिले के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य में "दौलवारा-बिरारी, कॉर्ड लाइन" को विशेष रेल परियोजना" की बाबत ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति करती है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	जिला अधिकारी, ललितपुर	ललितपुर

[ई.फा.सं.एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी.(एस.यू.सी.आर.)/2/2022-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./सी -II जे. एच. एस.
(कम्प्यूटर क्र. 59799) दिनांक : 15.03.2022.]

शरद मेहता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

MINISTRY OF RAILWAYS
(NORTH CENTRAL RAILWAY)
(CONSTRUCTION DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Jhansi, the 14th July , 2022

S.O. 3201 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the **arbitrator** mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of **“Dailwara–Birari Chord Line”** in the state of Uttar Pradesh relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such railway project.

TABLE

S.No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	District Magistrate, Lalitpur	Lalitpur

[e-file No. NCR-HQ0CENG(SUCR)/2/2022-O/o Dy.CE/C-II/JHS(Computer No.59799) Date : 15.03.2022.]

SHARAD MEHTA, Chief Administrative Officer